संख्या– 22 / 33–3–2022–2401 / 2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1. निदेशक, पंचायती राज उ०प्र०।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी उ०प्र०।

पंचायती राज अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांक– 08 जनवरी, 2022**

विषयः ग्राम पंचायतों द्वारा उनमें निर्मित जीर्ण–शीर्ण / जर्जर जोखिमपूर्ण पंचायत भवनों / अन्य सार्वजनिक भवनों के ध्वस्तीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों द्वारा यह संज्ञान में लाया जा रहा है कि कतिपय ग्राम पंचायतों में निर्मित पंचायत भवन / अन्य सार्वजनिक भवन जीर्ण–शीर्ण अथवा निष्प्रयोज्य है। ऐसे भवन जो ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित हैं अथवा हस्तान्तरित हैं, का शासकीय कार्यों के सम्पादन हेतु उपयोग करते समय किसी अप्रिय घटना के घटित होने से जन–धन के हानि की आशंका है। शासनादेश संख्या–42 / 2021 / 1235 / 33–3–2021–989 / 2021 दिनांक–25.07.2021 द्वारा ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण कराते हुए ग्राम सचिवालय की स्थापना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे पंचायत भवन / सामुदायिक भवन जो जीर्ण–शीर्ण हो चुके हैं, उनके ध्वस्तीकरण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना हैः–

(I) जनपद के जिलाधिकारी द्वारा अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति गठित की जायेगी। इस समिति में जिलाधिकारी द्वारा नामित एक सहायक अभियंता एवं एक जिला स्तरीय अधिकारी, सदस्य होंगे।

(II) जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उक्त समिति के समक्ष ग्राम पंचायतों में ध्वस्तीकरण हेतु प्रस्तावित पंचायत भवनों / सामुदायिक भवनों की सूची प्रस्तुत की जायेगी। उक्त भवनों की अनुमानित / वास्तविक आयु का विनिश्चय उक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

(III) आयु विनिश्चय के उपरान्त समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार ध्वस्तीकरण योग्य भवनों के सम्बन्ध में संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उनकी सूची समस्त विवरण सहित यथा भवन के निर्माण का वर्ष भवन की लागत, संबंधित सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), ग्राम प्रधान, सचिव का नाम, पदनाम व मोबाइल नम्बर आदि समिति को उपलब्ध कराया जायेगा।

(IV) उपर्युक्तानुसार गठित समिति द्वारा भवनों के संबंध में विस्तृत तकनीकी टिप्पणी एवं भवन का मूल्यांकन कर कम्प्यूटेड वैल्यू तथा विस्तृत मूल्यांकन आख्या जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। तदोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगीः–

(क) ऐसे भवन जो अपनी आयु पूर्ण कर चुके हैं और जिनकी बुक वैल्यू व अभिलेखों के अभाव में बुक वैल्यू उपलब्ध न हो एवं कम्प्यूटेड वैल्यू रू. 05.00 लाख (रूपये पांच लाख मात्र) तक है, के ध्वस्तीकरण के बारे में निर्णय संबंधित जिलाधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

(ख) ऐसे भवन जो अपनी आयु पूर्ण कर चुके हैं और जिनकी बुक वैल्यू व अभिलेखों के अभाव में बुक वैल्यू उपलब्ध न हो एवं कम्प्यूटेड वैल्यू रू. 05.00 लाख (रूपये पांच लाख मात्र) से अधिक किन्तु रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) तक है, के ध्वस्तीकरण के बारे में निर्णय निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश द्वारा लिया जायेगा।

(ग) ऐसे भवन जिनकी आयु पूर्ण नहीं हुई है और जिनकी बुक वैल्यू व जहां अभिलेखों के अभाव में बुक वैल्यू उपलब्ध न हो एवं कम्प्यूटेड वैल्यू रू. 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) तक है, के ध्वस्तीकरण के बारे में निर्णय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लिया जायेगा।

(v) उपर्युक्त में से ऐसे भवन जिनकी आयु 15 वर्ष से अधिक नहीं है और जिनमें निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक न होने के कारण अथवा किसी भी प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त न होते हुए भी भवन के ध्वस्तीकरण का निर्णय लिया जाता है, तो उस दशा में जिला पंचायत राज अधिकारी, दोषी प्रधान, सचिव ग्राम पंचायत एवं संबंधित अवर अभियंता जिसने उक्त भवन की माप–पुस्तिका बनाई है, का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(vi) ध्वस्तीकरण के पश्चात् यदि ग्राम पंचायत द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि ग्राम पंचायत भवन के मलबे एवं अन्य सामग्री का पुर्नउपयोग नहीं करेगी, तो ग्राम पंचायत नियमानुसार वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नीलामी कर सकती है, जहां ग्राम पंचायत यह निर्णय लेती है कि मलबे का पुर्नउपयोग किया जाना है ऐसी दशा में नीलामी इत्यादि की कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(vii) नीलामी से प्राप्त धनराशि नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता संख्या–1 (विविध जमा) में जमा की जायेगी तथा उक्त धनराशि का उपयोग पंचायत भवन निर्माण/पुर्ननिर्माण/विस्तारीकरण में किया जायेगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
8.1.22
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, वित्त विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) उत्तर प्रदेश ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

Dell/d/Asoo/CO